अनिल क्षेत्रपाल, ज. के **सामने**

रोहित धवन और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

रीता धवन और अन्य-प्रतिवादी

आर.एस.ए.-1364-2021

23 नवंबर, 2021

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007-धारा 22, 27-दीवानी अदालतें-पूर्ण अधिकार क्षेत्र- बेटे ने बेदखली निर्णय के खिलाफ उसकी मा- एक वरिष्ठ नागरिक दवारा निचली अदालत में पास मुकदम के खिलाफ अपील पारित करती है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 27 के तहत परिवार के सदस्यों को बेदखल करने के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने के हकदार हैं। अलग-अलग न्यायिक निर्णयों के कारण-स्पष्टता की कमी कि क्या अधिनियम 2007 के तहत गठित न्यायालयों के समक्ष बेदखली याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। विशेष रूप से जब दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूर्ण हो तो मामले को लंबित रखना उचित नहीं है।विभिन्न श्रेणियां में अधिकारिता की कमी या दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बाधा का प्रश्न-विभिन्न श्रेणियां।ऐसे मामले जहां अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है-ऐसे मामले में, निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना है। दूसरी श्रेणी-क्योंकि विशेष प्रासंगिक अधिनियम, अधिकार क्षेत्र विशेष न्यायाधिकरण को प्रदान की जाती है और इसके परिणामस्वरूप, दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाता है-न्यायालय को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना है। इसलिए **पक्षकारों को त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई। इसलिए, न्याय की प्रक्रिया को विफल करने के लिए की गई आपत्तियों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि मूल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। याचिका खारिज कर दी गई** ।

माना गया कि दीवानी यह है कि "क्या एक वरिष्ठ नागरिक (एक माता-पिता) अपनी संपत्ति से, परिवार के किसी सदस्य को बेदखल करने के लिए दीवानी न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने का हकदार है। विशेष रूप से जब अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है?" अपने आप यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि कुछ राज्यों ने ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड/न्यायाधिकरण को शक्ति प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है, लेकिन अधिनियम के तहत गठित बोर्ड /न्यायाधिकरण को ऐसी अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाली ऐसी योजनाओं की वैधता एक चुनौती का विषय है। यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि यह अधिनियम वृद्ध लोगों को निर्वाह और सुरक्षा प्रदान के लिए बनाया गया है।उद्देश्य और कारणों के बयान को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि संसद ने यह देखा कि भारतीय समाज की पारंपरिक नैतिकता और मूल्य, जो बुजुर्गों के प्रति अत्यधिक सम्मान और देखभाल के सिद्धांतों का पालन करते थे वह अब वो लुप्त होने लगे हैं।

और कई वृद्ध व्यक्ति, तेजी से, भावनात्मक उपेक्षा और शारीरिक, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यावहार के शिकार हो रहे हैं, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को लागू किया गया है। पंजाब राज्य ने पंजाब माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण योजना को अधिसूचित किया, जिससे पीड़ित व्यक्ति अधिनियम के तहत गठित बोर्ड /न्यायाधिकरण में आवेदन दायर कर सकते हैं। हालाँकि, इसे उच्च न्यायालय द्वारा सिमरत रंधावा बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2018 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4744 मामले के निर्णय 23.01.2020 को कर खारिज कर दिया गया था । उपरोक्त फैसले के खिलाफ एक एल. पी. ए. लंबित है। ममता शर्मा बनाम अतिरिक्त उपायुक्त सह रखरखाव बोर्ड /न्यायाधिकरण और अन्य (2018 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या. 38040) की एक अन्य समन्वित पीठ ने 05.11.2020 पर निर्णय लिया कि ऐसी परिस्थितियों में बेदखली याचिका बोर्ड/न्यायाधिकरण के समक्ष विचारणीय है। इसलिए अभी तक, इस मामले में कोई पूर्ण स्पष्टता नहीं है। (पैरा11)

आगे कहा गया कि जैसा कि पहले ही देखा गया है, ऐसे मामलों में बोर्ड/ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न प्रवाह स्थिति में है। दीवानी यह है कि क्या अदालत को निवेदन/अपील को लंबित रखना चाहिए और किसी वरिष्ठ नागरिक की पीड़ा को बढ़ाना चाहिए या अदालत को मामले पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, विशेष रूप से जब अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान ना हो जो बोर्ड/न्यायाधिकरण को बेदखली का आदेश देने में सक्षम बनाता है न्यायालय की सुविचारित राय में, मामले को लंबित रखना उचित नहीं है, विशेष रूप से जब दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र पूर्ण हो। (पैरा 12)

आगे कहा गया कि यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि दीवानी विवादों को निपटाने में, दीवानी न्यायालय को दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी या बाधा के प्रश्न की जांच करते समय, न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मामलों को विभिन्न श्रेणियों में रखने की आवश्यकता है। जिन मामलों में अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, वे एक विशिष्ट श्रेणी का गठन करते हैं। ऐसे मामले में दीवानी न्यायालय का फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरी ओर, एक दूसरी श्रेणी है जिसमें प्रासंगिक विशेष अधिनियम में मौजूदा प्रावधान के कारण, अधिकार क्षेत्र एक विशेष न्यायाधिकरण को प्रदान किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है। ऐसे मामलों में, पीठ के दृष्टिकोण में, न्यायालय को मामले पर व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होती है। पक्षकारों को त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसलिए, केवल न्याय की प्रक्रिया को विफल करने के लिए की गई आपत्तियों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि मूल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। (पैरा 13)

(अनिल क्षेत्रपाल, ज.)

सुशांत करीर -अधिवक्ता, अपीलार्थियों की ओर से

रागिनी, -अधिवक्ता, प्रतिवादीयों के लिए

अनिल क्षेत्रपाल, ज. (मौखिक)

(1) अदालतों के प्रतिबंधित कामकाज के कारण मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से की जा रही है।

(2) प्रतिवादी अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए न्यायालयों में दायर मुकदमे का आदेश देते हुए प्राप्त तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों की शुद्धता पर हमला करते हैं, जिसमें नीचे दिए गए अपीलकर्ताओं को मुकदमे की संपत्ति के खाली भौतिक कब्जे को छोड़ने, खाली करने और सौंपने का निर्देश दिया जाता है।

(3) निर्विवाद रूप से, अपीलार्थियों का संपत्ति में कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है।प्रतिवादी संख्या1-रीटा धवन अपीलकर्ता नंबर 1 (रोहित धवन) की माँ हैं। वह दिनांक 18.09.2007 के बिक्री विलेख के अनुसार आवासीय घर की एकमात्र मालिक है। मुद्दई के मामले के अनुसार, उसने अपने बेटे को उसके परिवार के साथ एक निः शुल्क लाइसेंसधारी के रूप में घर में रहने की अनुमति दी थी। चूंकि अपीलकर्ताओं ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए प्रतिवादी (मां) ने लाइसेंस समाप्त कर दिया और मुकदमा दायर करके कब्जा करने की मांग की। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से दर्ज किया है कि अपीलार्थियों को न तो संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित है और न ही उन्हें घर में बने रहने का कोई अधिकार है।

(4) अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का तर्क है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधानों को देखते हुए, ऐसे मामलों में अनन्य अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 22 के तहत गठित बोर्ड/न्यायाधिकरण के पास है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 27 के तहत वर्जित है।

(5) एक अदालत के प्रश्न पर, अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि प्रतिवादियों ने यह बचाव नहीं किया या इस विषय को नीचे दिए गए न्यायालयों के समक्ष नहीं उठाया। हालांकि, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि यह एक कानूनी दलील है, इसलिए अदालत को अपीलकर्ताओं को नियमित दूसरी अपील में पहली बार इसे उठाने की अनुमति देनी चाहिए।

(6) उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अपीलार्थियों को इस स्तर पर पूरी तरह से नई याचिका दायर करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान करने की दृष्टि से लागू किया गया है। यह

स्पष्ट है कि अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को परिसर से लाइसेंसधारियों को बेदखल करने की मांग करने में सक्षम बनाता है।

उस अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास केवल अधिनियम से संबंधित मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र है न कि माता-पिता और बच्चे के बीच उत्पन्न होने वाले सभी मामलों पर। इसके अलावा, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूर्ण प्रकृति का है जिसमें दीवानी प्रकृति के सभी मामले शामिल हैं। दीवानी प्रकृति के विवादों के निर्णय के संबंध में दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के पक्ष में एक मजबूत धारणा मौजूद है और इसका खंडन केवल एक स्पष्ट, स्पष्ट या अंतर्निहित प्रावधान द्वारा किया जा सकता है।

(7) अब हम अधिनियम की धारा 27 का विश्लेषण करते हैं जो निम्नानुसार हैः-

इस अधिनियम का कोई प्रावधान लागू होने वाले किसी भी मामले के संबंध में किसी भी दीवानी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत की जाने वाली या करने का इरादा रखने वाली किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी भी दीवानी न्यायालय द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

(8) धारा 27 के सावधानीपूर्वक अध्यन से यह स्पष्ट है कि दीवानी न्यायालय की अधिकारिता केवल उस मामले के संबंध में बहिष्कृत है जिस पर अधिनियम का कोई प्रावधान लागू होता है।अपीलार्थियों के विद्वान अभिवक्ता अधिनियम के किसी भी प्रावधान की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहे हैं जो न्यायाधिकरण को वर्तमान मामले में शामिल विवाद का फैसला करने और बेदखली का आदेश पारित करने में सक्षम बनाता है।पंजाब कार्य योजना-2014 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है।

(9) एक बार जब अधिनियम के पीछे का उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है, तो अधिनियम के प्रावधानों को उस अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने के तरीके से नहीं माना जा सकता है जिसके लिए इस तरह का सामाजिक कल्याण कानून बनाया गया है।

(10) इसके अलावा, यह अधिनियम अपने सार में एक लाभकारी सामाजिक कल्याण कानून है। अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को विफल किया जा सके। संसद ने इस अधिनियम को बनाया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता भरण-पोषण का दावा कर सकें और उनके मूल्यवान अधिकारों की रक्षा की जा सके।अधिनियम स्वयं यह मानता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत रखरखाव का दावा करने में समय लगता है और साथ ही यह महंगा भी है।इसलिए, प्रक्रिया को सरल बनाने और एक विशेष, सस्ता और त्वरित उपचार प्रदान आदेश के लिए, अधिनियम

लागू किया गया है।न्यायालय की सुविचारित राय में, यदि मामला लंबित रखा जाता है, तो यह अधिनियम को बनाते समय विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का उल्लंघन करेगा।

(11) दीवानी यह है कि क्या एक वरिष्ठ नागरिक (माता-पिता)

परिवार के किसी सदस्य को उनकी अपनी संपत्ति से बेदखल करने की मांग करते हुए दिवानी न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने का हकदार है, विशेष रूप से जब अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है?" यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि कुछ राज्यों ने ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड/न्यायाधिकरण को शक्ति प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है, लेकिन अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण को ऐसी अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाली ऐसी योजनाओं की वैधता एक चुनौती का विषय है।यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि यह अधिनियम वृद्ध लोगों को निर्वाह और सुरक्षा प्रदान आदेश के लिए अधिनियमित किया गया है। उदेष्यो और कारणो के कथन पड़ने से स्पष्ट है कि संसद ने देखा कि भारतीय समाज के पारम्परिक नैतिकता और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बुजुर्गो के प्रति अत्यदिक सम्मान और देखभाल के सिद्धांत का पालन करने वाली संस्था ख़तम होने लगी है और कई बुजुर्ग तेजी से भावनात्मक उपेक्षा का शिकार होते है इसलिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, को लागु किया । पंजाब राज्य ने पंजाब माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण योजना को अधिसूचित किया, जिससे पीड़ित व्यक्ति अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण में आवेदन दायर कर सकते हैं। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा सिमरत रंधावा बनाम पंजाब राज्य और अन्य**, 2018 का सीडब्ल्यूपी न.4744, ने 23.01.2020** के **निर्णय मे** हटा दिया गया **।** उपरोक्त निर्णय के खिलाफ **एल. पी. ए.** लंबित है । में एक और समन्वय पीठ **ममता शर्मा बनाम अतिरिक्त उपायुक्त सह रखरखाव न्यायाधिकरण और अन्य (2018 का सी. डब्ल्यू. पी. न. 38040) ने** 05.11.2020 पर अभिनिर्धारित किया **निर्णय लिया** कि ऐसी परिस्थितियों में बेदखली याचिका न्यायाधिकरण के समक्ष बनाए रखने योग्य है।इसलिए, अभी तक, इस मामले में कोई पूर्ण स्पष्टता नहीं है।

(12) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ऐसे मामलों में न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र का प्रश्न अस्थिर स्थिति में है।दीवानी यह है कि क्या अदालत को अपील को लंबित रखना चाहिए और किसी वरिष्ठ नागरिक की पीड़ा को बढ़ाना चाहिए या अदालत को मामले पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, विशेष रूप से जबकि अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो बोर्ड को बेदखली का आदेश देने में सक्षम बनाता है ।

(13) न्यायालय की सुविचारित राय में, मामले को लंबित रखना उचित नहीं है, विशेष रूप से जब दिवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र पूर्ण हो।

(14) यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि दीवानी विवादों पर विचार करने में अधिकार क्षेत्र की कमी या दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र पर रोक के दीवानी की जांच करते समय, न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मामलों को विभिन्न श्रेणियों में रखने की आवश्यकता है।जिन मामलों में अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, वे एक विशिष्ट श्रेणी का गठन करते हैं।

इस मामले में, दीवानी न्यायालय का निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना है। दूसरी ओर, एक दूसरी श्रेणी है जिसमें प्रासंगिक विशेष अधिनियम में मौजूदा प्रावधान के कारण, अधिकार क्षेत्र एक विशेष न्यायाधिकरण को प्रदान किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाता है। ऐसे मामलों में, पीठ के सुविचारित दृष्टिकोण में, न्यायालय को मामले पर व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होती है। पक्षकारों को त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसलिए, केवल न्याय की प्रक्रिया को विफल करने के लिए की गई आपत्तियों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि मूल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।

(15) माननीय उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने धुलाभाई आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य मे दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के बहिस्कार के प्रश्न की जांच करने के लिए सात परीक्षण निर्धारित किये। प्रासंगिक चर्चा पैरा 32 में है ,जिसे निम्नानुसार निकाला गया हैः-

“32. फर्म ऑफ इलूरी सुबैया (1) या कमला मिल्स (2) के दो मामलों में से किसी को भी पहले देखे गए मामलों की श्रृंखला के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय में व्यक्त किए गए विविध विचारों की इस जांच का परिणाम इस प्रकार कहा जा सकता हैः-

(1) जहाँ अधिनियम विशेष न्यायालय के आदेशों को अंतिम रूप देता है, वहाँ दीवानी न्यायालयों की अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए यदि ऐसा करने के लिए पर्याप्त उपाय है जो दीवानी न्यायालय सामान्य रूप से एक मुकदमा में करते हैं।हालाँकि, इस तरह के प्रावधान उन मामलों को बाहर नहीं करते हैं जहाँ विशेष अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है या वैधानिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है।

(2) जहां न्यायालय की अधिकार क्षेत्र की एक स्पष्ट बाधा है, वहां प्रदान किए गए उपायों की पर्याप्तता या पर्याप्तता का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना की जांच प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने के लिए निर्णायक नहीं है।

जहां कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है, वहां उपचारों की जांच और इरादे का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना आवश्यक हो जाती है और जांच का परिणाम निर्णायक हो सकता है।बाद के मामले में यह देखना आवश्यक है कि क्या अधिनियम एक विशेष अधिकार या देयता पैदा करता है और इसके लिए प्रावधान करता है

अधिकार या दायित्व का निर्धारण और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न इस प्रकार गठित न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और क्या दीवानी न्यायालयों में कार्यों से जुड़े उपचार उक्त अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए हैं या नहीं।

(3) विशेष अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देना क्योंकि यह अधिकार अधिकारातीत है, उस अधिनियम के तहत गठित अधिकरण के समक्ष नहीं की जा सकती है। यहां तक कि उच्च न्यायालय भी अधिकरण के निर्णय के संशोधन या संदर्भ पर उस प्रश्न में नहीं जा सकता है।

(4) जब किसी प्रावधान को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका हो। या किसी भी प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती दी जानी है, एक मुकदमा खुला है।यदि दावा स्पष्ट रूप से सीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित समय के भीतर है, लेकिन यह एक मुकदमे को बदलने के लिए एक अनिवार्य उपाय नहीं है, तो परिसीमा अधिनियम एक मुकदमा में धनवापसी के लिए एक निर्देश शामिल हो सकता है।

(5) जहां विशेष अधिनियम में संवैधानिक सीमाओं से अधिक एकत्र किए गए कर या अवैध रूप से एकत्र किए गए कर की वापसी के लिए कोई मशीनरी नहीं है, वहां मुकदमा दायर किया जाता है।

(6) मूल्यांकन की संवैधानिकता के अलावा इसकी सही होने के प्रश्न इसके लिए हैं। यदि अधिकारियों के आदेशों को अंतिम घोषित किया जाता है या विशेष अधिनियम में एक स्पष्ट निषेध है तो अधिकारियों का निर्णय और एक दीवानी मुकदमा मनाही नहीं है। किसी भी मामलों में विशेष अधिनियम की योजना की जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह एक प्रासंगिक जांच है।

(7) दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि उपरोक्त शर्तें लागू नहीं होती हैं।"

(16) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सात परीक्षणों को लागू करते हुए, चूंकि पंजाब राज्य द्वारा बनाई गई योजना की वैधता वर्तमान में न्यायिक जांच का विषय है, इसलिए मुकदमा परीक्षण संख्या 4 के तहत बनाए रखा जा सकता है।परीक्षण संख्या 7 के तहत भी दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(17) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील खारिज कर दी जाती है।

(18) सभी लंबित विविध आवेदनों, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है। वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त होगा

Vetted by: Shiv Charan

Translator, Sessions Division, Panipat